श्री जुएल उरिम: सर, यह इनफार्मेशन इमीडिएटली तो उपलब्ध नहीं है लेकिन बाद में मैं माननीय सदस्या को यह इनफार्मेशन दे दूंगा।

FDI in tobacco sector

*105. SHRI J. CHITHARANJAN: SHRI GAYA SINGH:

Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

- (a) whether Government are taking a fresh look on the question of allowing 100 percent FDI in tobacco sector;
 - (b) if so, the details thereof; and
- (c) how many 100 percent FDIs have been allowed, so far, in the tobacco sector and which are they?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (DR. RAMAN): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

(a) to (c) The existing guidelines for consideration of Foregin Direct Investment (FDI) proposals by Foreign Investment Promotion Board (FIPB) do not stipulate any ceiling on the extent of foreign equity participation, inter alia, in sectors pertaining to consumer non durables, which include cigarettes. However, as there has been no precedent of 100% FDI approval in cigarettes so far, it was felt necessary to clarify the position vide Press Note No. 11 (1998 series) dated 27th August 1998, that proposals for manufacture of cigarettes with FDI up to 100% shall be considered by FIPB subject to the provisions relating to compulsory licensing under the Industries (Development & Regulation) Act, 1951. This has been done with a view to lending greater transparency in decision making.

There has been no subsequent change in the guidelines relating to foreign investment in tobacco and cigarette industry.

[†]The question was actually asked on the floor of the House by Shri J. Chitaranjan.

SHRI J. CHITHARANJAN: Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister, in his reply, has stated that, "However, as there has been no precedent of 100% FDI approval in cigarettes so far, it was felt necessary to clarify the position vide Press Note No. 11 (1998 series), dated 27th August 1998...." I would like to know from the hon. Minister whether any foreign company or any of its subsidiaries, in India, has applied for licence to start a company to produce cigarette. If so, I would like to know whether the Government has given sanction for that.

डा॰ रमणः सर, प्रश्न के जवाब में ही आ गया था कि 'There has been no subsequent change in the guidelines relating to foreign investment in tobacco and cigarette industry.' मगर माननीय सदस्य ने प्रश्न द्वारा जिस ओर ध्यान दिलाया है कि इसके संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया या आज की तारीख तक यह विचाराधीन है, इस विषय में क्योंकि यह बहुत सेंसिटिव मामला है और टोबैको से संबंधित है तो इस विषय में बहुत सारे विचार आए हैं। बहुत सारे सुझाव हमारे एम॰पीज़ की तरफ से आए हैं, बहुत सारे सुझाव हमारे फाइनेंस से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी तरफ से आए हैं। करीब पचास से ज्यादा विषय इस संबंध में विचाराधीन हैं जिन पर विचार किया जाएगा। कुछ इसके विध में हैं कि एफ॰डी॰आई॰ में 100 परसेंट लाइसेंस टोबैको को दिया जाए और कुछ इसके विध में हैं, ज्यादातर विधक्ष में ही हैं। सर, यह बहुत ही सेंसिटिव मामला है और सिगरेट के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर नए निषयों पर बहस हो रही है। इन सारे विषयों पर विचार करके इसमें अतिशीघ निर्णय लिया जाएगा, अभी यह विषय आज तक की तारीख में विचाराधीन है।

श्री जीवन राय: टोबैको क्या, पाँयज़न में भी दे दो 100 परसेंट।(व्यवधान)......

डा॰ रमण: यह विषय विचाराधीन है, इसमें आपके भी विचार लिए जाएंगे और यह मुद्दा जनिहत का है, इस विषय में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।(व्यवधान)....... यह एक कंपलसरी लाइसेंसिंग के क्षेत्र से आता हुआ विषय है और इस संबंध में सरकार काफी गंभीरता से विचार कर रही है। आप सबके विचार इसमें लिए जाएंगे, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा।

श्री सभापति: ठीक है। सेकेंड सप्लीमेंटरी......

SHRI J. CHITHARANJAN: Sir, I am happy to know that the Government has not taken a final decision in this regard. I would like to know whether—while considering this issue—the hon. Minister will take Parliament into confidence.

डा॰ रमणः सर, माननीय सदस्य ने अपने विचार और सुझाव यहां रखे हैं। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि आप जो सुझाव इस संबंध में दे रहे हैं उन पर विचार करते समय आपके सुझावों को उसमें सम्मलित किया जाएगा और उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा।

श्री गया सिंह: सभापित महोदय, मंत्री जी से जो सवाल किया गया है उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया है और यह कहा है कि एप्लीकेशन्स आ रही हैं। मेरा मंत्री महोदय से प्रश्न यह है कि विदेशी निवेशकों को अभी तक अनुमित दी गई है या नहीं? क्या आपके पास विदेशी निवेशकों की एप्लीकेशन्स विचाराधीन हैं? ये सवाल हैं और आपने इसके बारे में गाइड लाइन कह कर बता दिया जो इसी से संबंधित है। आप कहते हैं कि एप्लीकेशन्स विचाराधीन हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या उसकी कोई टाइम लिमिट है? क्योंकि यह सवाल दो साल से विचाराधीन हैं। क्या आपकी मिनिस्टी ने इसके लिए कोई समय सीमा तय की है?

डा॰ रमणः सर, इसके संबंध में विदेशी कम्पनियों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं, चूंकि यह बहुत सेंसेटिव मुद्दा है इसलिए इस पर निर्णय करने में समय लग रहा है। इस पर शीघ्रतिशीघ्र निर्णय लिया जाएगा। सम्मानीय सदस्य जिस बात के लिए चिन्तित हैं.....(व्यवधान)......

श्री जीवन रायः टोबैको मैं क्या सेंसेटिव हैं?(व्यवधान)....

श्री संघ प्रिय गौतमः सेंसेटिव इसलिए है कि ज्यादातर सांसद इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।----(ट्यवधान)----

SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA: It seems that everything is sensitive. ...(Interruptions)...

डा॰ रमणः अब यह विचाराधीन है और इस पर इसलिए समय लग रहा है कि आप लोगों के सुझावों को भी इसमें सम्मिलित किया जाना है।

श्री जयन्त कुमार मल्होत्राः कोई एप्तीकेशन आई है या नहीं?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister may please sit down.

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: सभापित महोदय, फ्राइडे को मैंने इसी सदन में प्राइवेट मेम्बर्स बिल सिगरेट, टोबैको, खैनी और गुटका के ऊपर अपना प्रस्ताव मूव किया था। इसी सदन में मुझे आश्वासन दिया गया है कि हम इस मामले को जल्दी निपटाएंगे। अभी मंत्री महोदय कह रहे हैं कि यह जनहित का मामला है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि टोबैको और सिगरेट को कैसे जनहित का मामला है। डब्ल्यू॰ एच॰ ओ॰ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, टाटा मेमोरियल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है और लोक सभा में एक पेटीशन कमेटी बनी थी उसमें भी बड़े-बड़े डाक्टर और एक्सपट्स की ओपिनियन थी कि यह जल्दी से जल्दी बन्द किया जाए। लेकिन यहां की लॉबी, जो टोबैको लॉबी है वह इतनी पावरफुल है कि आप कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं यह जानना चाहंगा कि यह कैसे जनहित की बात है? हमारे देश में कैंसर से हर साल लाखों

लोग मर रह हैं। जितना हमारा वित्तीय वर्ष का रेवेन्यू आता है उससे ज्यादा हम कैंसर अस्पतालों पर खर्च कर देते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप कब तक इस विषय पर कदम उठाएंगे?

डा॰ रमणः सर, यह संवेदनशील मामला है। ...(व्यवधान)...

श्री अनन्तराय देवशंकर दवेः सर, यह संवेदनशील मामला तो है ही। मैंने पूछा है कि यह जनहित का मामला कैसे है? ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: The Members want that the matter should be taken seriously.

डा॰ रमणः इस विषय पर माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं, जब इस विषय पर निर्णय लिया जाएगा तब इनके विचारों को ध्यान में रखा जाएगा। इस पर अतिशीघ्र निर्णय लिया जाएगा।

Closure/Privatisation of PSUs

*106. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:† SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) the total number of PSUs under Department of Heavy Industry at present;
- (b) the number of PSUs, alongwith names, proposed to be closed by Government;
- (c) the number of PSUs, alongwith names, where Government's stake is proposed to be reduced below fifty per cent;
- (d) the number of PSUs, alongwith names, proposed to be continued under Government's control;
- (e) whether Government are contemplating any pruning of the Ministry including officials in view of the reduction in the span of control vis-a-vis closure/privatisation of PSUs; and
 - (f) if not, the reasons therefore?

[†] The question was actually asked on the floor of the House by Shri Dipankar Mukheriee.